

संचिका संख्या:-4प/कि०भ०-160-01/2025/05(470)प०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

नजर हुसैन,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 21/4/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से चार माह (मार्च 2025 से जून 2025 तक) का भवन किराया हेतु कुल ₹95,20,000.00 (पंचानवे लाख बीस हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 90 के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिनियम के अधीन सौंपे गये न्यायिक कृत्यों के निर्वहण हेतु एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। अधिकांश ग्राम कचहरियों को सम्प्रति अपना भवन नहीं होने के कारण कार्य सम्पादन/निष्पादन हेतु भवन उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य की ग्राम कचहरियों जिन्हें अपना भवन नहीं था, को प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹500.00 (पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने का निर्णय वर्ष 2009 में लिया गया था। इस अवधि के बीच महँगाई बढ़ने, किराये में वृद्धि होने के कारण सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराया जायेगा।

2. ग्राम कचहरी भवन किराया के संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है :-

- (क) किराया पर लिये जाने वाले भवन का अधिकतम किराया ₹1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह अनुमान्य होगा।
- (ख) पूर्व में ₹500.00 (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह किराये पर लिये गये ग्राम कचहरी भवनों के मामले में पुनरीक्षित किराया दर निर्धारित होने पर ही अधिकतम किराया ₹1,000 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह अनुमान्य होगा।
- (ग) किराये पर भवन में कम से कम कचहरी हेतु परिसर सहित कमरा/भवन जिसका न्यूनतम कारपेट एरिया 800 वर्गफीट हो।
- (घ) किराया पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच/उपसरपंच/पंच की सम्पत्ति से संबंधित नहीं हो।
- (ङ) किराया पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के क्षेत्र के अन्तर्गत एवं संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय के ग्राम में अवस्थित हो।

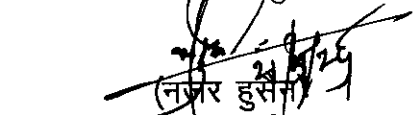
(च) ग्राम कचहरी हेतु किराये के भवन का चयन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच के परामर्श से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन/सम्पुष्टि के पश्चात् एकरारनामा (Agreement) के द्वारा किया जायेगा।

3. राज्य सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में राज्य की ग्राम कचहरियों को, जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से चार माह (मार्च 2025 से जून 2025 तक) का भवन किराया हेतु संलग्न विवरणी (अनुलग्नक-1) के अनुसार अंकित राशि कुल ₹95,20,000.00 (पंचानवे लाख बीस हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी सभी ग्राम कचहरी के खाता में सीधे CFMS के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्राम कचहरी द्वारा राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी समेकित रूप से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. वैसे ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी जहां पंचायत सरकार भवन, ग्राम पंचायत भवन या समुदायिक भवन उपलब्ध हैं, वैसे ग्राम कचहरियों को भवन किराया का भुगतान नहीं किया जाना है। ग्राम कचहरी भवन किराया राशि का उपयोग उचित रूप से हो इसकी पूर्ण जबाबदेही जिला पंचायत राज पदाधिकारी की होगी।
6. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मद के "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उप मुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" के अन्तर्गत, "विषयशीर्ष-0112.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन", से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16-2515008000112 एवं मांग संख्या-16 है।
7. इस स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या-4प/कि०भ०-160-01/2025 के पृष्ठ 10...../टि० पर दिनांक 18/04/2024 को प्राप्त है।
8. इस प्रस्ताव में स्वीकृति प्राधिकार सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-4प/कि०भ०-160-01/2025 के पृष्ठ 10...../टि० पर दिनांक 18/04/2024 को प्राप्त है।
9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।
11. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

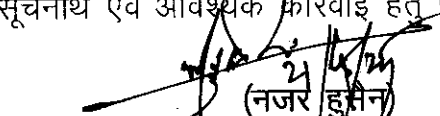
विश्वसभाजन
21/4/25
(नज़र हुसैन)
संयुक्त सचिव

कृ०पृ०उ०

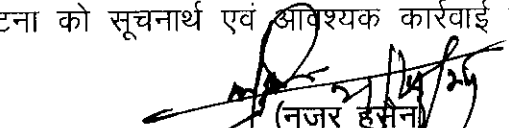
ज्ञापांक:-4प/कि०भ०-160-01/2025/05(स्वी)/पं०रा०, पटना, दिनांक 21/4/2025
प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

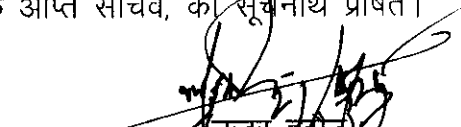
ज्ञापांक:-4प/कि०भ०-160-01/2025/05(स्वी)/पं०रा०, पटना, दिनांक 21/4/2025
प्रतिलिपि:-सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

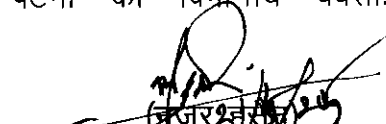
ज्ञापांक:-4प/कि०भ०-160-01/2025/05(स्वी)/पं०रा०, पटना, दिनांक 21/4/2025
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-5, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-4प/कि०भ०-160-01/2025/05(स्वी)/पं०रा०, पटना, दिनांक 21/4/2025
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।


(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-4प/कि०भ०-160-01/2025/05(स्वी)/पं०रा०, पटना, दिनांक 21/4/2025
प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

6

अनुलग्नक-1

ग्राम कचहरी भवन किराया हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राशि की विवरणी :-

क्र०सं०	जिला	किराया पर भवन की संख्या	रु० 1000 x 4 की दर से राशि	कुल स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	5	20000.00	20,000.00 (बीस हजार रुपये)	
2	अरवल	36	144000.00	1,44,000.00 (एक लाख चौयालीस हजार रुपये)	
3	भागलपुर	41	164000.00	1,64,000.00 (एक लाख चौसठ हजार रुपये)	
4	दरभंगा	147	588000.00	5,88,000.00 (पाँच लाख अठासी हजार रुपये)	
5	पूर्वी चम्पारण	167	668000.00	6,68,000.00 (छ लाख अड़सठ हजार रुपये)	
6	गोपालगंज	19	76000.00	76,000.00 (छिहत्तर हजार रुपये)	
7	जमुई	68	272000.00	2,72,000.00 (दो लाख बहत्तर हजार रुपये)	
8	जहानाबाद	29	116000.00	1,16,000.00 (एक लाख सोलह हजार रुपये)	
9	कटिहार	135	540000.00	5,40,000.00 (पाँच लाख चालीस हजार रुपये)	
10	किशनगंज	18	72000.00	72,000.00 (बहत्तर हजार रुपये)	
11	मधेपुरा	35	140000.00	1,40,000.00 (एक लाख चालीस हजार रुपये)	
12	मधुबनी	98	392000.00	3,92,000.00 (तीन लाख बानवे हजार रुपये)	
13	मूंगेर	14	56000.00	56,000.00 (छप्पन हजार रुपये)	
14	मुजफ्फरपुर	108	432000.00	4,32,000.00 (चार लाख बत्तीस हजार रुपये)	
15	नवादा	111	444000.00	4,44,000.00 (चार लाख चौयालीस हजार रुपये)	
16	पटना	146	584000.00	5,84,000.00 (पाँच लाख चौरासी हजार रुपये)	
17	पूरिया	43	172000.00	1,72,000.00 (एक लाख बहत्तर हजार रुपये)	
18	रोहतास	12	48000.00	48,000.00 (अड़तालीस हजार रुपये)	
19	सहरसा	49	196000.00	1,96,000.00 (एक लाख छियानवे हजार रुपये)	
20	समस्तीपुर	95	380000.00	3,80,000.00 (तीन लाख अस्सी हजार रुपये)	
21	शेखपुरा	12	48000.00	48,000.00 (अड़तालीस हजार रुपये)	
22	शिवहर	33	132000.00	1,32,000.00 (एक लाख बत्तीस हजार रुपये)	
23	सीतामढ़ी	50	200000.00	2,00,000.00 (दो लाख रुपये)	
24	सिवान	136	544000.00	5,44,000.00 (पाँच लाख चौयालीस हजार रुपये)	
25	पश्चिम चम्पारण	104	416000.00	4,16,000.00 (चार लाख सोलह हजार रुपये)	
26	सारण	50	200000.00	2,00,000.00 (दो लाख रुपये)	
27	नालन्दा	106	424000.00	4,24,000.00 (चार लाख चौबीस हजार रुपये)	
28	बेगूसराय	19	76000.00	76,000.00 (छिहत्तर हजार रुपये)	
29	खगडिया	0	0.00	-	
30	बांका	19	76000.00	76,000.00 (छिहत्तर हजार रुपये)	
31	औरंगाबाद	63	252000.00	2,52,000.00 (दो लाख बावन हजार रुपये)	
32	सुपौल	21	84000.00	84,000.00 (चौरासी हजार रुपये)	
33	लखीसराय	32	128000.00	1,28,000.00 (एक लाख अठाईस हजार रुपये)	
34	बक्सर	71	284000.00	2,84,000.00 (दो लाख चौरासी हजार रुपये)	
35	कैमुर	28	112000.00	1,12,000.00 (एक लाख बारह हजार रुपये)	
36	वैशाली	124	496000.00	4,96,000.00 (चार लाख छियानवे हजार रुपये)	
37	गया	0	0.00	- (शून्य)	
38	भोजपुर	136	544000.00	5,44,000.00 (पाँच लाख चौयालीस हजार रुपये)	
	कुल	2380	9520000.00	95,20,000.00 (पंचानवे लाख बीस हजार रुपये)	

21/12/25
(नगर हुसैन)
संयुक्त सचिव